fcUnq l[;k& 01 lxBu dk;Z rFkk drZO;ksa dk fooj.k&

ftyk d`f"k vf/kdkjh& आपने जिले के कृषि कार्य, बीज भंडार, एवं अन्य कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है। विकास के समूचे ढांचे में अन्य विभागीय विकास अधिकारियों के साथ–साथ मुख्य विकास अधिकारियों के साथ–साथ मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। कार्य सम्पादन में सहयोग के लिए इनको अपर जिला कृषि अधिकारी तथा ज्येष्ठ यांत्रिक सहायक की सहायता उपलब्ध है।

विकास खण्ड स्तर पर विभाग का अधिनस्थ वर्ग–2 के स्तर के सहायक विकास अधिकारी, एवं प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार वर्ग–03 हैं, जो खण्ड विकास अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

fcUnq l[;k& 2 vf/kdkfj;ksa rFkk deZpkfj;ksa dh vf/kdkj rFkk drZO;– जिला कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र में समस्त कृषि विकास कार्यक्रमों एवं उत्पादन योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वयन एवं समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। योजनाओं के सम्बन्ध में क्रियान्वयन मूल्यांकन करने का भी अधिकार है। बीज, खाद एवं उर्वरकों की समय व्यवस्था, कृषकों को समय से पहले कृषि निवेश उपलब्ध कराने का कार्य, गुणवत्ता नियंत्रण, विकास सम्बन्धी बैठकों में भाग लेना, योजनाओं में कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं सत्यापन, कृषि एवं सहकारी बीज भंडारों का निरीक्षण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य, विकास खण्डों में कृषि कार्यों का मौके पर निरीक्षण एवं सत्यापन, बैलेंश शीट व अन्य लेखा रिर्पोट तैयार कराकर यथा समय उच्च अधिकारियों को भेजना, राजकीय फार्म के समय–समय पर निरीक्षण तथा उत्पादन एवं उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण तथा आय–व्यय का समुचित रूप से रख रखाव तथा देयकों का समय से भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करना।

fcUnq l[;k& 03 i;Zos{k.k vkSj tokcnsgh ds Jksr lfgr fu.kZ; ysus esa viuk;h tkus okyh izfØ;k& कृषि निदेशालय एवं शासन स्तर से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों का ही अनुपालन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय से मार्ग निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन किया जाता है। जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपने–अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

fcUnq l[;k& 04 dk;ksZa dk djus gsrq viuk;s x;s ekud& निदेशालय स्तर एवं शासन स्तर से निर्धारित मानक के अनुसार कार्यों को निष्पादित किया जाता है।

fcUnq l[;k& 05 drZO;ksa ds fuoZgu gsrq vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa }kjk iz;ksx fd;s tkus okys fu;e] funsZ'k vkSj vfHkys[kksa vkfn dk fooj.k&

विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्र क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, पर सूचनाऐं प्राप्त एवं एकत्र कर सुरक्षित प्रेषण किया जाता है।

fcUnq l[;k& 06 foHkkx }kjk j[ks tkus okys vfHkys[kksa ds izdkjksa dk fooj.k& कार्यालय एवं बीज भंडारों पर कैश रसीद (डी–2), कैश बुक, स्टोर रसीद बुक, बिल बुक, स्टाक लेजर एवं डैड स्टाक रजिस्टर आदि रखे जाते हैं।

fcUnq l[;k& 07 uhfr fu/kkZj.k ds fy, turk ls ijke'kZ ;k l>ko ysus dk icU/k ;fn dksbZ gks rks& ऐसा कुछ नहीं है।

fcUnq l[;k& 08 foHkkx esa lykg nsus ds fy, xfBr nks ;k nks ls vf/kd lnL;ksa dh lfefr;ksa vkfn dk fooj.k rFkk ;g Hkh fd mudh cSBdsa turk ds fy, [kqyh gksaxh ;k ugha rFkk mudk dk;Zokfg;ka tu lkekU; ds fy, miyC/k gksaxh ;k ugha& शून्य।

fcUnq l[;k& 09 vf/kdkfj;k rFkk deZpkfj;k dk i.k fooj.k

Ø-l-	deZpkjh dk uke	in uke
1	–	अ0जि0कृ0अ0
2	–	वर्ग– 2 (मैके0)
3	–	वरिष्ठ सहायक
4	–	वरिष्ठ सहायक
5	–	वरिष्ठ सहायक
6	–	कनिष्ठ सहायक
7	–	जीप ड्राइवर
8	–	चतुर्थ श्रेणी
9	–	आर्दली
10	–	चतुर्थ श्रेणी
11	–	चतुर्थ श्रेणी
12	–	चतुर्थ श्रेणी
13	–	फार्म अधीक्षक
14	–	ट्रैक्टर ड्राइवर
15	–	कामदार
16	–	कामदार
17	–	कामदार
18	–	कामदार
19	–	कामदार
20	–	कामदार
21	–	कामदार
22	–	कामदार
23	–	कामदार

fcUnq la[;k& 10

vf/kdkfj;ka ,oa deZpkfj;ka dks ikfjr gksus okys ekfld osru ,oa ifjyfC/k;ka

Ø- la-	deZpkjh dk uke	in	ewyosru	dqy osru	edku fdjk;k HkRrk	dqy ifjyfC/k
1	–	अ0जि0कृ. अ.				
2	–	वर्ग–2 (मैके0)	6175	11892	905	12797
3	–	वरिष्ठ सहायक	6125	11912	–	11912
4	–	वरिष्ठ सहायक	6125	11912	905	12817
5	–	वरिष्ठ सहायक	6000	11670	795	12465
6	–	जीप ड्राइवर	4200	8167	20	8187
7	–	च0 श्रेणी	3730	7258	455	7713
8	–	च0 श्रेणी	3410	6638	455	7093
9	–	च0 श्रेणी	3410	6638	455	7093
10	–	च0 श्रेणी	3410	6638	455	7093
11	–	कनिष्ठ सहायक	3050	5942	–	5942
12	–	फार्म अधीक्षक	6800	6358	–	13158
13	–	ट्रैक्टर ड्राइवर	5500	5143	–	10693
14	–	कामदार	4220	8206	620	8826
15	–	कामदार	359	6987	505	7492
16	–	कामदार	3660	7082	200	7282
17	–	कामदार	3660	7122	505	7627
18	–	कामदार	3590	6987	505	7492
19	–	कामदार	3345	6513	505	7018
20	–	कामदार	3345	6563	–	6563
21	–	कामदार	3345	6473	505	6978
22	–	कामदार	3345	6513	505	7018

fcUnq la[;k& 11 <u>foHkkx ds vUrxZr leLr vfHkdj.kksa dk ctV rFkk ;kstukvksa] izLrkfor O;; vkSj fd;s x;s Hkqxrkuksa dk fooj.k&</u>

<u>ftyk ;kstukUrxZr</u>

;kstuk dk uke	Lohd`r ifj0;;		ctV e	voeqDr			Øfed 0;;	
		dqy	dqy e Li0 dEik0	ikfo/kkfur /kujkf~k	dq y	dqy e Li0 dEik0	dq y	dqy e Li0 dEik0
गुणात्मक बीजों का संवहीन संग्रहण एवं वितरण	3100	–	3100	1979		–	1500	–
आईसोपाम योजना	600	150	600	263		38	153	20
योग	3700	150	3700	2242		38	1653	20

fcUnq la[;k& 12 <u>vkofVr /ku ,oa ykHkkfFk;ksa ds fooj.k lfgr vuqnku dk;ZØeksa dk lapkfyr djus dk rjhdk&</u>

1- ftyk ;kstuk& ;kstuk ds vUrxZr nks dk;Z en gSA

1–1 गुणात्मक बीजों का उत्पादन बढ़ाने की योजना– जनपद में राजकीय प्रक्षेत्र नवाबगंज व बिलवा पर चलाई जा रही है। इन प्रक्षेत्रों पर गुणात्मक बीजों का उत्पादन कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत हैं।

1–2 आईसो पाम योजना (इन्टीग्रेटेड स्कीम आयल सीड पल्सेज आयल पाम एवं मेज)– जनपद में तिलहन दलहन योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्य मदें– ब्रोडर बीज क्रय एवं उपयोग, आधारीय बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज उत्पादन, वितरण, कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन आयोजन, कृषि रक्षा रसायन वितरण, कृषि रक्षा उपकरण वितरण, जिप्सम वितरण, एन0पी0बी0 जैव रसायन, स्प्रीकनार सैट, एच0डी0ई0पी0 पाईप, 33 प्रतिशत एवं कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण के लक्ष्य है।

2- df"k ;=hdj.k ;kstuk&

2–1 योजना के अन्तर्गत मानव/बैल चालित कृषि यंत्रों पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपया 2000/– प्रति यंत्र अनुदान सुविधा अनुमन्य है।

2–2 शक्ति चालित यंत्रों पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम 10,000/– रूपया प्रति यंत्र अनुदान सुविधा अनुमान्य है।

2–3 रोटा वेटर, सीड ड्रील, जीरो ट्रिल, पोटेटो प्लापटर, फारेज हारवेस्टर कम रीपर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपया 20,000/– प्रति यंत्र अनुदान सुविधा अनुमान्य है।

2–4 स्माल ट्रैक्टर पर (35 हार्स पावर तक) मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम 30,000/– रूपया

जो भी कम हो अनुदान अनुमण्य है।

3. ?kkU; Qly mRiknu c<kus dh ;kstuk& मैक्रोमैनेज मैन्ट आफ एग्ग्री कल्चर योजनान्तर्गत मुख्य कार्य मदें प्रमाणित/आधारीय बीजों के वितरण पर प्रोत्साहन, आई.पी.एम., फसल उत्पादन तकनीक प्रदर्शन, एवं प्रशिक्षण।
4. ixfr~khy fdlku ;kstuk& योजना अन्तर्गत वैज्ञानिकों के द्वारा चयनित कृषकों को 50–50 के समूह में बांट कर एक बार तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
5. rduhdh gLrkUrj.k ;kstuk& कृषकों को विविध रूपों से उन्नत तकनीकी के प्रति जागरूक बनाने हेतु तकनीकी हस्तान्तरण योजनान्तर्गत प्रगति शील कृषकों को एक्स पोजर विजिट, यंत्र प्रदर्शन, प्रचार–प्रसार, कृषक गोष्ठी, मासिक कार्यशाला व किसान दिवस आदि हैं।
6. fdlku fo|ky; ;kstuk& वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में एक किसान विद्यालय का गठन कर कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरीफार्म, मशीनरी, विपणन आदि विषयों में प्रशिक्षित किसान सदस्य होंगे, यह विद्यालय प्रगतिशील एवं प्रशिक्षित किसानों द्वारा क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को सुलझाने एवं अनुभवों को बांटने का प्लेट फार्म उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
7. मास मिडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तहत नैरोकास्टिंग कार्यक्रम।
8. सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन प्रोग्राम एक्सटेंशन रिफार्म के तहत जनपद में कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण का गठन–

fcUnq la[;k& 13 NwV izkIr djus okyksa dk fooj.k& जनपद के समस्त विकास खण्डों के सभी कृषकों को कृषि निवेश अनुदान पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। अनुदान पर कृषि निवेश प्राप्त करने वाले कृषकों का पूर्ण विवरण कृषि बीज भंडार, सहकारी भंडार, यू0पी0 एग्रो के बिक्री केन्द्रों तथा कृषि रक्षा ईकाई पर उपलब्ध रहता है।

fcUnq la[;k& 14 bySDVkfud izk:i esa j[kh xbZ lwpuk dk fooj.k& भौतिक एवं वित्तिय सूचनाऐं रखी जाती हैं।

fcUnq la[;k& 15 lwpuk izkIr djus gsrq ukxfjdksa dks miyC/k lqfo/kk,a& सभी नागरिकों को समान रूप से सूचना प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।

fcUnq la[;k& 16 tu lwpuk vf/kdkjh dk uke in rFkk vU; fooj.k– – , जिला कृषि अधिकारी, बरेली

fcUnq la[;k& 17 fu;eksa ds vUrxZr vU; dksbZ lwpuk– शून्य